

नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा

Updated on: Fri, 13 Jul 2012 09:14 PM (IST)

23

Like

Google +

A

A+



जागरण संवाददाता, रोहतक : स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को इंफेंट मिलक सबस्टीच्यूट (आइएमएस) एक्ट का उल्लंघन करने वाले नेस्ले कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय और गोदाम पर छापामारी करते हुए कुछ उत्पादों को कब्जे में लिया। टीम ने संबंधित उत्पाद की बिक्री पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य विभाग से आए जांच अधिकारी डॉ. अमरजीत राठी व डॉ. कुलदीप ने बताया कि

आइएमएस एक्ट 1992 में पास हुआ था, जिस पर 2003 में संशोधन किया गया। नेस्ले कंपनी के लेक्टोजन-1, प्रो नॉन व प्री नॉन के उत्पाद डिब्बों पर नियमों की अवहेलना की गई है। नियम के अनुसार उत्पाद की बिक्री के लिए उसके डिब्बे पर किसी जानवर की फोटो लगाना, समय का निर्धारण और मां की फोटो होनी चाहिए। गलत होलोग्राम का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ शिशु आहार एक्ट के तहत किसी आम दुकानदार को यह प्रोडक्ट बेचने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा बिना उत्पाद की जानकारी के उसे बेचा जाना भी गलत है। इस कारण विवादित उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय पर बैठे प्रशांत व अंकुर ने बताया कि उन्हें उत्पाद के संबंध में अधिक जानकारी नहीं है। कंपनी का आदमी आता है, वहीं सेल का सारा कार्य देखता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में जिला स्वास्थ्य व परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. अमरजीत राठी, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. कुलदीप, वरिष्ठ इग इंस्पेक्टर मनमोहन तनेजा, जनरल फूड इंस्पेक्टर ओम कुमार, सूरजमल आदि थे।

सीएनएफ कार्यालय को तलाशते पहुंची जांच टीम

शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम नेस्ले कंपनी के सीएनएफ कार्यालय की तलाश करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के कार्यालय में पहुंच गई। चिकित्सकों की टीम ने पहले पुरानी अनाज मंडी स्थित डिस्ट्रीब्यूटर के कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों ने नई अनाज मंडी में जाकर उत्पाद के गोदाम पर जांच की।

आइएमएस एक्ट के तहत की कार्रवाई : सीएमओ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीके गोविंदा ने बताया कि विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने आइएमएस एक्ट का उल्लंघन कर रहे उत्पाद पर कार्रवाई की है। नेस्ले कंपनी नियम से बाहर जा कर उत्पाद की बाजार में बिक्री कर रही थी। निर्णय आने तक कंपनी अपने विवादित उत्पादों को नहीं बेच सकेगी।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर

मिलती जुलती तस्वीरें



कॉन्कटेल के प्रमोशन पर दीपिका

मिलती जुलती खबरे

जुआरियों पर पुलिस का छापा

डायग्नोस्टिक सेंटर पर मारा छापा

बीज की दुकानों पर कृषि विभाग का छापा

कैप्टन अभिमन्यु के घर आयकर विभाग का छापा

शीर्ष ताजा खबर ज्यादा पठित वीडियो

लक्ष्मी मित्तल थामेंगे ओलंपिक मशाल

जीत की लय बरकरार रखने उतरेगा भारत

कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन

संगमा ने नहीं मानी हार, सुप्रीम कोर्ट जा...

प्रणब का अफजल की याचिका पर टिप्पणी से

अमला के तिहरे शतक से मुश्किल में इंग्लैंड...

(Hindi news from Dainik Jagran, news state Haryana Rohtak Desk)

[आज के मुख्य समाचार देखें »](#)

23

Like Google +

A⁻

A⁺

अवैध रूप से दवा बेचता काबू

जनसंख्या रोकने का लिया प्रण

प्रतिक्रिया दें

नेम : ईमेल : Hindi Englishफीडबैक :
Type your comment here...

500 Character remaining



Type the two words:



Submit Message

स्थानीय

उत्तर प्रदेश

सेलेक्ट

- फिर मचेगा तीज महोत्सव में धमाल
- सीट बढ़ाने को लेकर छात्रों का हंगाम...
- ..और एसपी सिटी के सामने कर दीं चूड़...
- हरि किशन दियाइए जित्थ-जित्थे सब दुख...
- मौत से हारा एक्सपोर्टर पीयूष
- मेयर ने पार्षदों से की मुलाकात
- कामेश्वर महादेव पर शिव विवाह
- पथराव में चार भाई घायल

[और पढ़ें »](#)

समाचार

राष्ट्रीय

दुनिया

बिजनेस

क्रिकेट

खबरें

विशेषज्ञों की राय

आईसीसी रैंकिंग

मनोरंजन

बॉलीवुड

मिर्च-मसाला

बॉक्स ऑफिस

अध्यात्म

धर्म समाचार

पंचांग

पूजा-पाठ

खेल	अपनी बात	फिल्म समीक्षा	संत-साधक	संपादकीय	लाइफस्टाइल
चर्चा में		गुदगुदी	धार्मिक स्थान	नजरिया	खाना खजाना
जरा हटके				अपनी बात	साहित्य
				जोश	सेहत
				शिक्षा	पर्यटन
				विज्ञान	फैशन/ब्यूटी
				करियर	शख्सियत

[Hindi Jokes](#) | [Uttar Pradesh \(UP\) News](#) | [Uttarakhand News in Hindi](#) | [Lucknow News](#) | [Kanpur News](#) | [Patna News](#)



Copyright © 2012 Jagran Prakashan Limited.

[Home](#) [About us](#) [Advertise with Us](#) [Contact us](#) [Sitemap](#) [Privacy Policy](#) [Terms Conditions](#) [Submit your news](#)